पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 4570/अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 3/3/2009

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातिक बैठक गुरूवार, दिनांक 05 फरवरी, 2009 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. ए.आर.चंद्राकर, कुलाधिसचिव	–	सदस्य
3.	डॉ. गौरीशंकर	–	सदस्य
4.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
5.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
6.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
7.	डॉ. बंशीलाल खण्डेलवाल	–	सदस्य
8.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
9.	डॉ. सुबीर मुखर्जी	–	सदस्य
10.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
11.	डॉ. बी.एल. तिवारी	–	सदस्य
12.	श्री राम खिलावन गुप्ता	–	सदस्य
13.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में प्रो. शैलेन्द्र सराफ, श्री राहुल महावर एवं स्वामी निखिलात्मानंद जी अनुपस्थित रहे।

कार्यवृत्त

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गए :–

1. मुख्य परीक्षा 2009 की परीक्षा व्यवस्था पर चर्चा करना।

निर्णय :– मुख्य परीक्षा 2009 के आयोजन के संबंध में चर्चा की गई। कुल छात्र संख्या एवं इस वर्ष बढ़े छात्रों के संबंध में भी चर्चा की गई। शासकीय महाविद्यालय जहां शिक्षक पदस्थ नहीं है और परीक्षा केन्द्र हैं, के संबंध में भी चर्चा हुई। इस संबंध में राज्य शासन को पत्र लिखे जाने का भी निर्णय लिया गया।

चर्चा :– कार्यपरिषद् में कुलपति जी द्वारा सूचना दी गई कि अकादमिक कौंसिल में इस प्रकरण को ले जाया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में विश्वविद्यालय मात्र नियमित छात्रों की ही परीक्षा लेगी। इस पर कार्यपरिषद् के सम्माननीय सदस्य, डॉ. बी.एल. तिवारी, (विशेष सचिव, शिक्षा), प्रो. आर.के. गुप्ता, प्रो. ए.आर. चंद्राकर (रेक्टर), डॉ. जी.बी. गुप्ता एवं प्रो. एस.जे. केकरे द्वारा अपने–अपने विचार रखे गये।

स्थायी समिति में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बी.ए. प्रथम वर्ष के समस्त विषयों की परीक्षा नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों की एक ही दिन परीक्षा आयोजित की जाय।

बैठक में चर्चानुसार स्वाध्यायी छात्रों की उपाधि में ''स्वध्यायी'' अंक सूची में लिखा जाता है। उसी तरह उपाधि प्रमाण पत्र में लिखा जाय, इस पर विचार किया गया। इस पर डॉ. शलभ कुमार तिवारी प्रो. आर.के. गुप्ता एवं प्रो. जी.बी. गुप्ता द्वारा भी विचार किया गया एवं इस पर असहमति व्यक्त की गई।

परीक्षा केन्द्रों में, परीक्षा के संबंध में प्राचार्यों की बैठक में सुझाव एवं अन्य महाविद्यालयों से संबंधित पूर्ण जानकारी लेकर आने के लिये महाविद्यालय को पूर्ण जानकारी सहित उपस्थित होने लिखा जाय।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.02.2009 के निर्णय क्रमांक 02 पर भी कार्यपरिषद् में चर्चा हुई (बी.बी.ए. के अनुत्तीर्ण/A.T.K.T. छात्रों के संबंध में) उन्हें परीक्षा में बैठने दिये जाने के संबंध में चर्चा की गई। कुलपति जी ने बताया की विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा विभाग द्वारा आवेदन परीक्षण ठीक से न कर परीक्षा में बिठाया गया। इसके लिये जवाबदेही तय किया जाकर, कार्यवाही किया जाय।

कुलपति जी द्वारा ऑडिट लम्बित होने की जानकारी दी गई। मुद्रक के भुगतान आडिट के बाद ही किये जाने की भी जानकारी दी गई। कुलसचिव जी द्वारा जानकारी दी गई कि ऑडिट प्रारंभ किया जा चुका है, दो बैठकें हो चुकी है, वर्तमान में लोकायुक्त के उत्तर बनाने में व्यस्त रही, इसलिये अभी 07 दिवस इस संबंध में कोई कार्य नहीं हुआ। पुनः 07.02.2009 से ऑडिट कराया जाना प्रारंभ किया जावेगा।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव 02/3/2009
सचिव

पृ.क्रमांक 457/अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 3/03/2009

प्रतिलिपि :

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण
4. वित्ताधिकारी/आवासीय अंकेक्षण
5. समस्त विभागीय अधिकारी– अपने–अपने विभाग से संबंधित प्रकरण पर निर्णयानुसार कार्रवाई कर 15 दिनों के अंदर पालन प्रतिवेदन भेजने का कृपया कष्ट करें।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहाय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)